कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष- स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति (57/26, दिनांक 24.08.2026)

काले हिरण व चिंकारा का शिकार कर अंतरराज्यीय स्तर पर तस्करी करने वाले संगठित गिरोह के आरोपी सलमान की तृतीय जमानत याचिका माननीय सत्र न्यायालय इंदौर द्वारा खारिज

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई इंदौर द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) म.प्र. महोदय के निर्देश पर वनमंडल इंदौर एवं स्थानीय पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए किशनगंज जिला इंदौर से वन्यजीवों के मांस की तस्करी करने वाले 03 आरोपियों को 65 कि.ग्रा. (लगभग), 01 नग देसी पिस्टल, 03 जिंदा कारतूस एवं 01 नग चार पहिया वाहन टोयोटा इनोवा क्रिस्टा क्रमांक MH-02-EP-4223 के साथ भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं में परिक्षेत्र महू (वनमंडल इंदौर) के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 675/09 दिनांक 03.12.2024 दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था।

तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश के संरक्षित वन क्षेत्र से वन्यजीवों का शिकार कर उनके मांस की अंतरराज्यीय स्तर पर संगठित रूप से तस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए प्रकरण क्रमांक POR No. 237/22 दिनांक 21.08.25 दर्ज कर विवेचना की जा रही है। प्रकरण क्रमांक 675/09 में आरोपी सलमान पिता हारून प्यारजी दिनांक 03.12.2024 को गिरफ्तार किया गया। वर्तमान में कुल 05 आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

उक्त प्रकरण में आरोपी सलमान द्वारा प्रस्तुत दो जमानत याचिका पूर्व मे जिला न्यायालय से निरसत की जा चुकी है एवं एक याचिका माननीय उच्च नयायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा निरस्त की जा चुकी है। आरोपी की यह तृतीय जमानत याचिका थी जिसे इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था की सह अभियुक्त जौहर हुसैन को माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर द्वारा एम.सी.आर.सी. 30554/2026 के माध्यम से जमानत का लाभ दिया जा चुका है। अतः समानता के आधार पर अभियुक्त को भी जमानत का लाभ जाना चाहिए, किन्तु *माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय 261/2026 दिनांक 24.08.2026 में माना की सह अभियुक्त जौहर हुसैन की उम्र 70 वर्ष होने के आधार पर उसे जमानत का लाभ दिया गया है। अभियुक्त सलमान 43 वर्षीय है तब ऐसे में उम्र के जिस आधार पर जौहर हुसैन को जमानत का लाभ दिया है उसकी कोई समानता सलमान के लिए प्रकट नही होती है।* अतः माननीय न्यायालय ने समानता न होने से आरोपी सलमान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। *आरोपी सलमान 628 दिवस से न्यायिक अभिरक्षा मे है।* स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा उक्त प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
मध्यप्रदेश, भोपाल